न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 16/2018

1 गोरधन उर्फ मोहरसिंह पुत्र रामनाथ।
2 श्रीमती गीता देवी पत्नी जगमाल।
3 मनोज कुमार पुत्र जगमाल।
4 सुमेर सिंह पुत्र जगमाल।
5 सहीराम पुत्र रामनाथ।
6 श्रीमती बसन्ती पत्नी प्रभु।
7 संदीपपुत्र प्रभु समस्त जाति जाट निवासीगण नाटास उप तहसील गुढ़ा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 श्रीमती पुनम पुत्री प्रभु पत्नी विनोद जाति जाट निवासी खुड़ाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती रामप्यारी पत्नी रामचन्द्र।
2 अनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र।
3 सुनिल कुमार पुत्र रामचन्द्र।
4 प्रदीप पुत्र प्रभु समस्त जाति जाट निवासीगण नाटास उप तहसील गुढ़ा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 राजस्स्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ा गांव उप तहसील गुढ़ा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दावा उनवानी श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम राजस्थान सरकार आदि दावा बाबत नक्शा दुरूस्ती दावा संख्या 68/2017

उपस्थिति :

1. श्री जगदीश चन्द्र काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इन्द्रजीत शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 27.4.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 68/2017 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 से 3/वादीगण ने जमीन ख.नं. 204 रकबा 4.73 हैक्टर वाके ग्राम नाटास के बाबत नक्शा ट्रेश में दुरूस्ती के लिये दावा किया। इस दावा सं. 122/2015 को निर्णय दिनांक 13.06.2016 से खारिज कर दिया। दावा संख्या 122/2015 में पारित उक्त निर्णय के खिलाफ रेस्पोडेन्टस नं. 1 से 3/वादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैम्प झुझुनूं में अपील उनवानी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम राज. सरकार आदि अपील संख्या 23/2016 थी जिसमें दिनांक 08.03.2017 को निर्णय पारित कर उक्त निर्णय दिनांक 13.06.2016 को अपास्त कर तहसीलदार सेस पुनः रिपोर्ट लेते हुये वादीगण को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः सुनवाई के लिये अपील रिमाण्ड कर दी। इसके बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने दावा संख्या 68/2017 को दिनांक 21.04.2017 को दर्ज किया व आदेशिका दिनांक 21.12.2017 को दर्ज किया कि तहसीलदार उदयपुरवाटी से मौका रिपोर्ट प्राप्त। पत्रावली को आदेश में दिनांक 29.12.2017 को नियत कर दिया। दिनांक 29.12.2017 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने निर्णय व डिक्री पारित कर ग्राम नाटास की भूमि खसरा नं. 204 का नक्शा ट्रेस प्रथम बन्दोबस्त के अनुसार दुरूस्त करने का आदेश दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा धारा 5 व धारा 96 के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 204 की पूर्वी सीमा अपीलांट के खेत से लगती हुई है। इसलिए अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 व धारा 96 के साथ अपील प्रस्तुत की है। न्यायहित में दोनों आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जावें एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जावें। गुणावगुण पर बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया की विचारण न्यायालय में वादी ने नक्शे में संसोधन का अनुतोष चाहा है। विधि अनुसार संसोधन का अनुतोष धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। विचाराधीन वाद में वादी द्वारा वादकरण भी अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में भूमि अधिकारी तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत कर वाद कथन का खण्डन कर नक्शे को सही होना अंकित किया है। विचारण न्यायालय निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2016 पेज 102 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी का वाद खारिज होने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण रिमांड किया गया था। अपीलांट 204 के खातेदार नहीं है। इसलिए दावें में इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। विचारण न्यायालय में वाद में वादकरण अंकित किया गया है। विचारण न्यायालय में गत एवं हाल नक्शा सीट में अंतर होने पर विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन एवं विवेचन कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 204 की पूर्वी सीमा अपीलांट के खेत से लगती हुई है। इसलिए अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 व धारा 96 के साथ अपील प्रस्तुत की है। न्यायहित में दोनों आवेदन स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है। गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि विचारण न्यायालय में वादी ने नक्शे में संसोधन का अनुतोष चाहा है। विधि अनुसार संसोधन का अनुतोष धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। विचाराधीन वाद में वादी द्वारा वादकरण भी अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में भूमि अधिकारी तहसीलदार ने जवाब प्रस्तुत कर वाद कथन का खण्डन कर नक्शे को सही होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 की परिधि में नही होने से विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है। वादी रेस्पोडेंट भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 27/04/23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर